न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 07/अपील/2017
दायरा दि0 17/04/2017

उनवान

रामचन्द्र पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड़ निवासी बन्या तह0 खानपुर
-- अपीलान्ट

बनाम्

1. सीताराम पुत्र उदालाल जाति धाकड़ निवासी बन्या तह0 खानपुर
2. ग्राम पंचायत बाघेर जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत बाघेर

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10/07/2015 ग्राम पंचायत बाघेर पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़

उपस्थित :– श्री गिरधारीलाल नागर अधिवक्ता – अपीलान्ट
श्री रमेशकुमार विजय एडवोकेट – रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 07/11/2019

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने यह अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम पंचायत बाघेर द्वारा दिनांक 10.07.2015 को पारित किया गया आदेश कानून एवं नियम के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। ग्राम पंचायत बाघेर ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि निर्णय किस ग्राम की आराजी व किस खसरा नम्बर में होकर आदेश पारित किया है। इसलिये ग्राम पंचायत का आदेश अस्पष्ट होने से खारिज होने योग्य है। ग्राम पंचायत बाघेर द्वारा पारित किया गया आदेश से पूर्व न तो अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है जो कानून के विरूद्ध है। इसलिये उक्त आदेश खारिज होने योग्य है। ग्राम पंचायत बाघेर द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 10.07.15 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह आदेश रेस्पोडेण्ट ने ग्राम पंचायत के कर्मचारियों द्वारा सांठ गांठ करके जारी किया है। पत्रावली में मिसल तामील तकमील होकर दफ्तर दाखिल की गई, यह अंकित करने के पश्चात ग्राम पंचायत के कर्मचारियों ने षड़यंत्र करके अपीलांट को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से बाद आदेश में यह कथन किये है कि रामचंद्र पुत्र प्रभूलाल धाकड़ भैरूपुरा के माल में नहर के पास कोट हटाकर हंकाई जुताई कर सकते हैं। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलांट के विरूद्ध पारित किया गया आदेश संदेशात्मक है। ऐसा संदेशात्मक आदेश खारिज होने योग्य है। अपीलांट को उक्त आदेश का पता तब चला जब रेस्पोडेण्ट अपीलांट के पूर्वजों के समय से बने हुये कोट को दिनांक 13.04.17 को हटाने के लिये गया। अपीलांट ने कोट को हटाने के लिये मना किया तो रेस्पोडेण्ट ने अपीलांट से कहा कि ग्राम पंचायत ने

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

आदेश पारित कर रखा है, तो अपीलांट ग्राम पंचायत में गया और उक्त आदेश की नकल प्राप्त की और आदेश की नकल प्राप्त करने की तारीख से अपील अन्दर मियाद माननीय न्यायालय में पेश है। अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश कर संलग्न है। अतः अपील माननीय न्यायालय में पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत बाघेर द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 10.07.2015 को खारिज फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट नं0 1 की ओर से श्री रमेशकुमार विजय एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पो0 नं0 2 ने अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बाघेर की पत्रावली पेश की। प्रथमतः उभय पक्ष को प्रार्थना–पत्र धारा 5 राजस्थान मियाद अधिनियम पर सुना गया। न्यायहित में विलम्ब अवधि का शमन करते हुये प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर बाद सुनवाई अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किये जाने का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात अधिवक्ता उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम पंचायत बाघेर द्वारा दिनांक 10.07.2015 को पारित निर्णय में किस गांव की किस खसरा नम्बर की आराजी के संबध में निर्णय पारित किया है, इसका अंकन नहीं है, ऐसे में आदेश अस्पष्ट होने से खारिज होने योग्य है। ग्राम पंचायत बाघेर ने अपीलांट को सुने बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें रेस्पोडेण्ट ने ग्राम पंचायत के कर्मचारियों द्वारा सांठ गांठ करके, अपीलांट को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से बाद में यह कथन अंकित किया है कि रामचंद्र पुत्र प्रभूलाल धाकड़ भैरूपुरा के माल में नहर के पास कोट हटाकर हंकाई जुताई कर सकते हैं। ऐसा संदेशात्मक आदेश खारिज होने योग्य है। अतः हमारी अपील स्वीकार की जावे तथा ग्राम पंचायत बाघेर का अपीलाधीन विधि के विरूद्ध आदेश दिनांक 10.07.2015 को खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में प्रकट किया कि ग्राम पचायत बाघेर ने सभी पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया है तथा पक्षकारान में सहमति बनाते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो पूर्ण रूप से विधि संगत है। अपील अपीलांट खारिज की जावे तथा ग्राम पंचायत बाघेर के निर्णय दिनांक 10.07.2015 को यथावत रखा जाकर उक्त निर्णय की तहसीलदार खानपुर से मौके पर पालना करायी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत बाघेर ने दिनांक 10.07.2015 को रामचंद्र पुत्र प्रभूलाल धाकड़ व सीताराम पुत्र उदयलाल धाकड़ के पानी निकासी के धोरे एवं रास्ते के विवाद के संबंध में निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारान का मामला ग्राम पंचायत में आने के बाद ग्राम पंचायत कोरम ने वादग्रस्त स्थल का मौका देखा है तथा मौका रिपोर्ट तैयार की है, फिर पक्षकारान में सहमति बनाते हुये ग्राम पंचायत ने मामले को निर्णित किया है। अर्थात ग्राम पंचायत बाघेर ने विधिक प्रकिया का पालना करते हुये मामले का निर्णय लोक अदालत की भावना से किया है। ऐसे में हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है। यहां अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज होने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार खानपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह मौका निरीक्षण करें तथा पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईश के आधार पर ग्राम पंचायत बाघेर के निर्णय दिनांक 10.07.2015 की मौके पर पालना करावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस लौटाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 07.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar Sindhav
Date: 2019.11.22 11:43:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: